

वशेष श्रेणी का दर्जा

प्रलिस के ललल:

वशेष श्रेणी का दर्जा, बहलर जात-आधारतल सरवेकषण, 2022, योजना आयोग, [अनुचछेद 370](#), केंद्र प्रायोजतल योजना

मेन्स के ललल:

वशेष श्रेणी का दर्जा, वभलनलन कषेत्रों में वकलस के ललल सरकारी नीतलतलँ और हसुतकषेप तथल उनकी रूपरेखल और करलनलवयन से उतुपनन होने वलले मुदुदे

[सुरोत: द हदुदु](#)

चरुचल में करुतलँ?

हलल ही में बहलर कैबनलत ने बहलर को [वशेष श्रेणी का दर्जा \(SCS\)](#) देने की मलंग करुते हुए एक प्रसुतलव पलरतल कतलल है ।

- यह मलंग "बहलर जात-आधारतल सरवेकषण, 2022" के नषलकरुषों की पृषुठभूमललँ उठी है, जसललँ पतल चलल है कबलहलर की ललगभग एक-तहललई आबलदी नरलधनतल में जीवन यलपन कर रही है ।

वशेष श्रेणी का दर्जा कतलल है?

• परचलल:

- SCS भौगोलकल तथल सलमलजकल-आरुथकल नुकसलन कल सलमनल करुने वलले रलजुतलँ के वकलस में सहायतल के ललल केंद्र दवलरल नरलधलरतल एक वरुगीकरण है ।
- संवधलन SCS के ललल कुई प्रलवधलन नहीं करुतल है तथल यह वरुगीकरण बलद में वरुष 1969 में पलँचवें वतलत आयोग की सफलरशलँ के आधलर पर कतलल गतल थल ।
- पहली बलर वरुष 1969 में जममू-कशुमीर, असम तथल नगललँड को यह दर्जल प्रदलन कतलल गतल थल ।
- पूरुव में [योजनल आयोग](#) की रलषुटरीय वकलस परषलद दवलरल योजनल के तहत सहायतल के ललल SCS प्रदलन कतलल गतल थल ।
- असम, नगललँड, हमलचल प्रदेश, मणपलर, मेघललय, सकुकमल, तुरपलरल, अरुणलचल प्रदेश, मजुोरम, उतुतरलखंड और तेलंगलनल सहतल 11 रलजुतलँ को वशेष श्रेणी का दर्जल दतलल गतल ।
 - बलरत के सबसे नए रलजुतल तेलंगलनल को यह दर्जल दतलल गतल कतुलँकललसे दूसरे रलजुतल आंधुर प्रदेश से अलग कर गठतल कतलल गतल थल ।
- SCS, वशेष दर्जे से भनलन है कु कल उनुनत वधलतुतल तथल रलजनीतकल अधकलर प्रदलन करुतल है, जबकल SCS केवल आरुथकल एवं वतलतुतलल पहलुओं से संबंधतल है ।
 - उदलहरण के ललल [अनुचछेद 370](#) के नरलसुत होने से पहले जममू-कशुमीर को वशेष दर्जल प्रलप्त थल ।

• नरलधलरक (गलडगलल सफलरशल पर आधलरतल):

- पहाड़ी इलकल
- कम जनसंखतल घनतुव और/तल जनकलतुतल जनसंखतल कल बडल हसलसल
- पडुुसी देशों के सलथ सीमलओं पर सलमरकल सुथतलल
- आरुथकल तथल आधलरभूत संरचनल में पछलडलपन
- रलजुतल के वतलत की अवतुवहलरुतल प्रकृतल

• ललभ:

- अतुतल में SCS रलजुतलँ को गलडगलल-मुखरुकी फुँरमूले दवलरल नरलधलरतल ललगभग 30% केंदुरीय सहायतल मलतलतुी थी ।
 - हलललँकल 14वें और 15वें वतलत आयोग (Finance Commlsslons- FC) की सफलरशलँ तथल योजनल आयोग के वधलटन के बलद SCS रलजुतलँ को यह सहायतल सभुी रलजुतलँ के ललल वतलरलण पूल फंड (Divisible Pool Funds) के बडे हसुतलंतरण में शलमलल कर दी गई है (कु कल 15वें वतलत आयोग में 32% से 41% तक बढ गई है) ।
- केंद्र वशेष श्रेणी दर्जल प्रलप्त रलजुतलँ को [केंद्र-प्रलयोजतल योजनल](#) में आवशुतक धनरलशल कल 90% कल भुगतलन करुतल है, जबकलअनुतुतु

- राज्यों के मामले में यह 60% या 75% है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।
- एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिये संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर एवं कॉर्पोरेट कर में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% वशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।

बिहार क्यों मांग रहा है वशेष राज्य का दर्जा (SCS)?

- **आर्थिक असमानताएँ:**
 - बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित नविन अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे बढ़ गए।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:**
 - राज्य, उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी भाग में गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है।
 - बार-बार आने वाली आपदाएँ कृषिगत विधियों को बाधित करती हैं, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:**
 - बुनियादी ढाँचा, विशेषकर संचाई सुविधाओं और जल आपूर्ति के मामले में अपर्याप्त बना हुआ है।
 - संचाई के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
- **गरीबी और सामाजिक विकास:**
 - बिहार में गरीबी दर उच्च है, यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
 - लगभग 54,000 रुपए प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं और SCS देने से सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याण उपायों के लिये आवश्यक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **विकास के लिये वित्तपोषण:**
 - SCS की मांग का उद्देश्य केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना है, जिससे बिहार को विकास परियोजनाओं के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

क्या बिहार SCS के अनुदान हेतु मानदंड पूरा करता है?

- यद्यपि बिहार SCS अनुदान के अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से वशेष क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है।
- वर्ष 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को 'अल्प विकासी श्रेणी' में रखा और SCS के बजाय 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिस पर राज्य के सामाजिक-आर्थिक पछिड़ेपन को दूर करने के लिये पुनः विचार किया जा सकता है।

क्या अन्य राज्य भी SCS चाहते हैं?

- वर्ष 2014 में अपने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि के आधार पर SCS अनुदान मांगा है।
- इसके अतिरिक्त ओडिशा भी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और एक बड़ी जनजातीय आबादी (लगभग 22%) के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए SCS के लिये अनुरोध कर रहा है।
- फरि भी केंद्र सरकार ने 14वीं FC रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके अनुरोधों को लगातार खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को सफारिश की गई थी कि किसी भी राज्य को SCS नहीं दिया जाना चाहिये।

वशेष श्रेणी दर्जे (SCS) से संबंधित चर्चाएँ क्या हैं?

- **संसाधनों का आवंटन:**
 - SCS देने में राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है, जो केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। विभिन्न राज्यों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है और SCS देने से वशेष श्रेणी दर्जा राज्यों के बीच असमानता या असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
- **केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:**
 - SCS वाले राज्य अक्सर केंद्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। यह संभावित रूप से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास रणनीतियों के प्रयासों को हतोत्साहित कर सकता है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:**
 - SCS के अनुदान के बाद भी प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार या उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग जैसी

चुनौतियाँ आवंटित धनराशिका उपयोग इच्छति उद्देश्यों के लिये करने में बाधक बन सकती हैं ।

आगे की राह

- नषिपक्षता और पारदर्शति सुनशिचति करने के लिये **SCS देने के मानदंडों पर पुनः वचिर करने और उन्हें परषिकृत करने** की आवश्यकता है । सामाजकि-आर्थकि संकेतकों, बुनयिदी ढाँचे के वकिास और अन्य परासंगकि कारकों के आधार पर पात्रता के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परभिषति करना ।
- राज्यों को व्यापक वकिास योजनाएँ बनाने के लिये प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है जसिमें सतत् वकिास, रोजगार सृजन, बुनयिदी ढाँचे का वकिास और मानव पूंजी वकिास पर ध्यान केंद्रति करना शामिल है । SCS को समग्र वकिास के लिये व्यापक रणनीतिका हसिसा बनाना चाहयि ।
- ऐसी नीतियाँ लागू करना जो आत्मनरिभरता और आर्थकि वविधीकरण को बढ़ावा देकर केंद्रीय सहायता पर राज्यों की नरिभरता को धीरे-धीरे कम करें । राज्यों को अपना राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहति करना ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-category-status-3>

